संसद के समक्ष अभिभाषण — 25 अक्तूबर 1999

लोक सभा	-	तेरहवीं लोक सभा
सत्र	-	तेरहवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री कृष्ण कांत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.एम.सी. बालयोगी

माननीय सदस्यगण,

13वीं लोक सभा के चुनावों के पश्चात्, संसद के दोनों सदनों के इस प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं, नव-निर्वाचित सदस्यों सहित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं।

हाल ही में हुए संसदीय चुनाव इस शताब्दी के अंतिम चुनाव थे। इन चुनावों ने हमें अगली सदी की पहली लोक सभा दी है। अनेक सहस्राब्दियों के इतिहास वाले महान राष्ट्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, भारत के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अतीत को गर्व और भविष्य को आशा एवं विश्वास के परिप्रेक्ष्य में देखें। हमने ऐसे कई मौके गंवाए हैं, जिनके कारण स्वतंत्र भारत चहुंमुखी प्रगति और समृद्धि से वंचित रह गया है, उन पर भी हमें विचार करना होगा। आइए, आज हम प्रण करें कि हम अपनी सामूहिक शक्ति, दृढ़-निश्चय और राष्ट्रीय उद्देश्य की भावना को अपनाकर ऐसे उज्जवल भविष्य का सपना साकार करें जो हमारा आह्वान कर रहा है।

आने वाला वर्ष भारतीय गणराज्य की स्थापना का 50वां वर्ष है। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान सभा के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा रचित हमारे महान संविधान को अंगीकार करना इस प्राचीन राष्ट्र के इतिहास की एक गौरवमयी घटना थी जिसके फलस्वरूप एक स्वतंत्र और आधुनिक गणराज्य के रूप में इसका पुनर्जन्म हुआ। हमारे संविधान की उद्देशिका के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रारंभिक सूत्र-वाक्य "हम, भारत के लोग...", के साथ एकता, संप्रभुता, लोकतंत्र एवं समता का

चिरस्थायी संदेश देने वाले तेजस्वी शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। ये शब्द, हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने महान स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों और उनके फलस्वरूप निर्मित प्रबुद्ध संविधान के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करें।

वे हमें महात्मा गांधी के उस आदर्श को प्राप्त करने हेतु काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो उन्होंने भारत के स्वतंत्र होने से बहुत पहले संविधान के लिए रखा था। 1931 में गांधी जी ने लिखा था: ***"मैं एक ऐसे संविधान के लिए संघर्ष करूंगा जो भारत को सभी बंधनों और आश्रयों से मुक्ति दिलाए। मैं एक ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जिसमें गरीब से भी गरीब व्यक्ति यह महसूस करे, कि यह उसका देश है जिसके निर्माण में उसकी प्रभावशाली भूमिका रही है; एक ऐसा भारत जिसमें न कोई उच्च वर्ग होगा और न कोई निम्न वर्ग; एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूरी तरह मिल-जुल कर रहेंगे... यही है मेरे सपनों का भारत। इससे कम में मुझे संतुष्टि नहीं होगी।"*** क्या हम इससे कम में संतुष्ट हो सकते हैं?

हाल ही में हुए चुनावों ने भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और भारतीय मतदाता की परिपक्वता को फिर से दोहराया है। मतदाताओं ने सरकार को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश देकर केन्द्र में अस्थायित्व के चरण को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी और सुसंगत साझेदारी से देश के कार्यों के प्रबंधन में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी हमारे लोकतंत्र और संघीय राज-व्यवस्था के लिए शुभ लक्षण है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि "गौरवशाली, सम्पन्न भारत का एजेन्डा" जो सरकार का एक साझा नीतिगत दस्तावेज है, में पंथनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघीय सौहार्द, सत्यनिष्ठा और सामाजिक-आर्थिक समानता के सिद्धान्तों के प्रति अपनी आस्था को पुनः दोहराया गया है। ये सिद्धांत हमारी प्राचीन सभ्यता के शाश्वत मूल्यों से गहरे जुड़े हैं और आधुनिक भारत की आधारशिला भी हैं। सरकार अपने साझे एजेन्डा में किए गए वायदों को पूर्णतः पूरा करेगी।

पिछली लोक सभा के भंग होने और तेरहवीं लोक सभा के चुनावों के बीच की अवधि में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ा। नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सीमा में सामरिक भू-क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने करगिल में जो सशस्त्र आक्रमण किया, उसे हमारे बहादुर जवानों, वायु सैनिकों और अधिकारियों ने दृढ़ता के साथ विफल कर दिया। पाकिस्तान को युद्ध के मैदान और राजनयिक दोनों ही मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। आज हम करगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बलिदान और वीरता राष्ट्र के लिए हर क्षण सदैव प्रेरणा और शक्ति के स्रोत बने रहेंगे।

करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ रहे हमारे जवानों को पूरे देश का अभूतपूर्व समर्थन मिला। पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया। ऐसे हर व्यक्ति ने, जिसके पास देने को कुछ भी नहीं था, हमारे बहादुर जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए खुले दिल से योगदान किया। हम "आपरेशन विजय" के दौरान शहीद हुए अथवा युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण अशक्त हुए हमारे बहादुर जवानों के परिवारों के पुनर्वास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। ऐसे परिवारों के कल्याण के लिए कई प्रकार की सहायता दी जा रही है।

करगिल युद्ध में भारत की विजय पर हम सबको गर्व है, पर इसमें बहुत संतुष्ट होने की बात नहीं है। करगिल युद्ध के बाद जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य भागों में अचानक फैले आतंकवाद और सुरक्षा बलों पर हुए हमले इसका प्रमाण हैं। सरकार सभी विघटनकारी गतिविधियों को विफल करने और सभी मोर्चों पर चौकसी बरतने के लिए कृतसंकल्प है। करगिल युद्ध ने हमारी सुरक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को भी जरूरी बना दिया है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे सुरक्षा बल देश की सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णत: साधन-सम्पन्न हों।

हम, एक-समान और भेदभाव रहित आधार पर, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के लिए पूर्णत: वचनबद्ध हैं। साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत की नीतिगत-स्वायत्तता सुरक्षित रहे। यह इस प्रकार किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का वातावरण बनाने के संबंध में हमारे अपने मूल्यांकन को देखते हुए भारत के न्यायोचित सुरक्षा पहलुओं की समुचित रक्षा की जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सरकार को इस संबंध में और साथ ही एक विश्वसनीय परमाणु निवारक की स्थापना के संबंध में भी परामर्श देगी। परमाणु सिद्धांत का प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका है और सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था में छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। थोक मूल्य सूचकांक से आंकी गई मुद्रास्फीति लगभग दो प्रतिशत है जो पिछले दो दशकों में सबसे कम रही है। पिछले वर्ष विश्व में प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति संतोषजनक रही है और हमारा विदेशी मुद्राकोष लगभग 33 बिलियन अमरीकी डालर है, जो कि एक रिकार्ड है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, गरीबी पर काबू पाना अभी भी हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। हमारे देश के करोड़ों लोगों, विशेषरूप से गांवों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल, उचित आवास, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी मुहैया कराई जानी हैं। हमारी अधिकांश जनता,

विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण महिलाओं के लिए निरक्षरता अभी भी एक अभिशाप बनी हुई है। लाखों युवक और युवतियां बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। हालांकि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जिन देशों ने पहल की है हम भी उनमें हैं, पर हम इस उद्देश्य में विफल रहे हैं। भविष्य के लिए एक नई नीति बनाते समय हमें इन गंभीर कमियों को दूर करना होगा।

सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करने वाला मुख्य आधार है **"रोजगार और समानता के साथ तीव्र विकास"।** सरकार प्रतिवर्ष एक करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाने के लिए वचनबद्ध है। ये रोजगार मुख्य रूप से कृषि, पर आधारित व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग, आवास एवं निर्माण, सेवाएं तथा स्व-रोजगार के क्षेत्र में जुटाए जाएंगे। तथापि, जब तक भारत कम से कम सात से आठ प्रतिशत की दर से उन्नति नहीं करता, तब तक हम किसी भी दशा में गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों अनुभव हमें यह बताते हैं कि आर्थिक सुधारों की एक ठोस नीति का अनुसरण करके ही तीव्र और बहु-क्षेत्रीय विकास संभव है। राष्ट्र के विकास की पुन: अभिमुखीकरण की नीति तीन बातों पर निर्भर करेगी जिसमें सरकार सुदृढ़ नीति और विनियामक नेतृत्व प्रदान करती है; निजी क्षेत्र गतिशीलता और प्रतियोगी वातावरण की क्षमता प्रदान करता है और स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा नागरिक समाज लोगों की उत्साहजनक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इस नीति में समाज, राज-व्यवस्था और प्रशासन के प्रत्येक भाग में एक नई विकास-परक सोच की आवश्यकता है जिससे कि अतीत से हटकर एक ठोस राष्ट्रीय सहमति बनाई जा सके।

विकास की दिशा में उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर, सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग से एक प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग बनाया गया है। महिला साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल देने के लिए एक कार्य-योजना शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इसके अलावा, ऐसी सभी बस्तियों में, जहां प्राथमिक स्कूलों के लिए भवन नहीं है, प्राथमिक स्कूल भवनों की व्यवस्था का एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्रियता से बढ़ावा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी, जिसका दोहरा उद्देश्य सभी नागरिकों को पर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और जनसंख्या वृद्धि को कम करना होगा। जनता की अधिक भागीदारी के जरिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य

सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति के इस्तेमाल को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी और गैर-सरकारी संयुक्त प्रयासों के जरिए विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा और त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन सेवाओं में विशेषज्ञता अस्पताल, रोग निदान केन्द्र और संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं।

सरकार ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुधार पर फिर से बल देगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय में हाल ही में बना पेयजल आपूर्ति विभाग अगले पांच वर्षों के अंदर सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित करेगा। सभी गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ने का एक कार्यक्रम शीघ्र शुरू किया जाएगा जिसके तहत बारहमासी सड़कें बनायी जाएंगी। इस कार्यक्रम के लिए प्रचास प्रतिशत डीजल उपकर निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने के लिए "सबके लिए आवास" नामक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इनमें से 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और रोजगार सृजन मुख्यत: तेजी से विकसित हो रहे कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसमें कृषि पर आधारित उद्योगों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का भी योगदान है। कृषि के क्षेत्र में, सरकार द्वारा वर्षा-पोषित कृषि के विकास, मृदा संरक्षण, बंजर भूमि विकास, जल विभाजक प्रबंध, कृषि, ऋण पद्धति, बागवानी एवं पुष्प कृषि के संवर्धन, शीत-भण्डार गृह नेटवर्क के विस्तार, उर्वरक मूल्य-निर्धारण, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जैविक खाद के प्रोत्साहन पर बल दिया जाएगा। फसल बीमा, फसल कटाई के बाद की व्यवस्था, कृषि उपज की कीमत निर्धारण और अधिप्राप्ति नीति, पूर्वानुमान एवं अग्रिम चेतावनी प्रणालियां, आदि जैसे सहकारी-क्षेत्र के सुधारों पर भी इस नई नीति में जोर दिया जाएगा। अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को एक समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की जाएगी।

जल की कमी तीव्रगति से एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। जब तक जल का समुचित रूप से संरक्षण और प्रबंध नहीं हो जाता तब तक वह देश की घरेलू, कृषि एवं उद्योगों की बढ़ती जल संबंधी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय जल नीति प्रस्तुत करेगी जिससे यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रशासनिक, वाणिज्यिक और प्रौद्योगिकीय समाधान करने में आसानी होगी जिससे वर्तमान एवं भावी पीढ़ियां इस जीवनदायी स्रोत से वंचित न रहें। अंतर्राज्यिक जल-विवाद समुचित ढंग से सुलझा लिये जाएंगे। सतत् विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संरक्षण और वानिकीकरण की आवश्यकता पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

आज तीव्र आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या हमारी आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता है। सरकार एक सुदृढ़ नियामक तंत्र के अंदर और अधिक निजी निवेश के सिद्धांत का पालन करते हुए इस स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार राज्य बिजली बोर्डों के समयबद्ध निगमीकरण के लिए राज्य सरकारों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करेगी। बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण संबंधी कार्य अलग-अलग रूप में किए जाएंगे। टैरिफ सुधार, विद्युत संचरण और वितरण प्रणाली के निजीकरण और राज्य बिजली विनियमन आयोगों की स्थापना संबंधी कार्यों को त्वरित गति से किया जाएगा। **"हाइड्रो-कार्बन-विजन 2020"** नामक रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कुछ समय पहले एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। इसकी सिफारिशें कार्यान्वित की जाएंगी। प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। महत्वपूर्ण कोयला उद्योग के विकास में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन विभाग में पुनर्गठित किया गया है। एकीकृत परिवहन नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित कर सके। इस परियोजना के अंतर्गत पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण मार्ग भी हैं। एक समर्पित सड़क निधि बनायी जाएगी। एक रेल सुधार आयोग की शीघ्र स्थापना की जाएगी जिससे कि संसाधन जुटाने की एक नयी नीति बनाने, टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, परियोजना संविधान को प्राथमिकता देने और रेल सुरक्षा की अपूर्ण आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा करने सबंधी कार्य किए जा सकें। विद्यमान बंदरगाहों की कार्य क्षमता सुधारने, कुछ वृहद् बंदरगाहों को निगमीकृत करने और नए बंदरगाहों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी करने संबंधी कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। एक नई नागर विमानन नीति तैयार की जाएगी, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए हमारे हवाई-अड्डों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम को भी समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा।

नई दूरसंचार नीति-1999 को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा जिससे कि लोगों को न्यूनतम संभव मूल्य पर विश्वस्तरीय दूरसंचार सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। जिन गांवों में यह सुविधा नहीं है, उनके लिए एक विशेष योजना बनाकर निश्चित समय-सीमा के भीतर ग्रामीण दूरभाष सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। भारतीय दूरसंचार के रूप में, दूरसंचार विभाग का निगमीकरण कार्य तीव्र गति से पूरा किया जाएगा। प्रथम कदम के रूप में, निर्णय लेने वाली इकाई को सेवा उपलब्ध कराने वाली इकाई से अलग करने के लिए नया दूरसंचार सेवा विभाग बनाया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण अधिनियम में उपयुक्त

संशोधन करके निवेशकर्ता का विश्वास बढ़ाने और जनता एवं निजी ऑपरेटरों के मध्य एक आधार बनाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण को मजबूत बनाया जाएगा। भारतीय तार अधिनियम, 1885 के स्थान पर एक नए विधान की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा जिससे कि भारत दूरसंचार, कम्प्यूटर, टेलीविजन और इलेक्ट्रानिकी के बीच प्रौद्योगिकी विकास से सृजित नए अवसरों का लाभ उठा सके।

एक नया सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनाया गया है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षा अकादमियों, भारतीय निजी क्षेत्र तथा विदेशों में स्थित सफल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायियों के सभी प्रयासों में मदद देने के लिए केन्द्रीय संस्थागत तंत्र होगा। यह मंत्रालय एक व्यापक कार्य योजना कार्यान्वित करेगा जिससे कि भारत अगली सदी के प्रारंभ में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बन सके और सन् 2008 तक सॉफ्टवेयर निर्यात में 50 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यह भारत में इन्टरनेट क्रांति में तीव्रता लाएगा जिसमें भारतीय भाषाओं में उपयोगी सामग्री तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा, हार्डवेयर विनिर्माण और निर्यात, ई-कॉमर्स और इन्टरनेट पर आधारित उद्यमों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें लाखों भारतीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन और व्यापार के अवसर प्रदान करने की क्षमता है। ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही एक विधान बनाया जाएगा। फार्मास्युटिकल और ज्ञान पर आधारित अन्य उद्यमों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिससे भारत इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन सके। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व, अपनी सभी महत्वपूर्ण कम्प्यूटर प्रणालियों में **वाई 2 के** की समस्या का निवारण करने की दिशा में अग्रसर है।

आधारभूत संरचना संबंधी इन सभी उपायों से भारत के औद्योगिक आधार, विशेषकर लघु और कुटीर उद्योगों, ग्रामीण शिल्पकारों व कारीगरों तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के एक बड़े तथा अब तक उपेक्षित क्षेत्र के पुनरुद्धार और विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी जाएगी। समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने जिसमें ऋण गारंटी योजना का कार्यान्वयन शामिल है, मार्किटिंग, प्रौद्योगिकीय उन्नति, कौशल सुधार और मुख्य रूप से नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को खत्म करने जैसी इस क्षेत्र की बहु-आयामी जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ ध्यानपूर्वक चुने गए उद्योगों के नियमों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा जिनमें निर्यात और रोजगार सृजन की काफी संभावना है। सरकार, विशेष रूप से एम.एफ.ए. व्यवस्था के बाद की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय कपड़ा उद्योग की काफी समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने

के लिए व्यापक और चिरस्थायी प्रयास करेगी। भारतीय कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि वे विश्व बाजारों में अपना परम्परागत उच्च स्थान वापस पा सकें।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध पद्धतियां अपनाकर तीव्र आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सरकार और अधिक पारदर्शिता लाने, परियोजना कार्यान्वित करने में होने वाले विलम्ब को कम करने तथा प्रतिवर्ष कम से कम 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सुनिश्चित करने की एक समर्थ नीति बनाने के लिए वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रणाली की समीक्षा करेगी। ध्यानपूर्वक चुने गए कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्वीकृति के लिए एक स्वत: अनुमोदन की प्रक्रिया होगी।

हम, उन्नत व्यय व्यवस्था के जरिए राजकोषीय आय-व्यय के सहीकरण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेंगे, कर ढांचे में व्यापक सुधार करेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की और तेजी से पुनर्संरचना करेंगे तथा उनमें विनिवेश करेंगे। एक व्यय आयोग का शीघ्र ही गठन किया जाएगा जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सभी प्रकार की सब्सिडी की समीक्षा करेगा, सभी चालू व्यय मदों तथा योजनाओं की जांच करेगा और सरकारी आकार कम करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा। कर सुधार संबंधी एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर ढांचों में सुधार के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश करेगी। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करके तथा विवेकपूर्ण मानदण्डों को सख्ती से लागू करके बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के सुधार में तेजी लाई जाएगी। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए दिवालियापन, पुरोबंध, ऋण वसूली और विलय संबंधी आवश्यक विधान बनाया जाएगा।

सरकार आर्थिक सुधारों के नए परिवेश में, श्रमिकों, विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के हितों के संवर्धन के लिए पूर्णत: वचनबद्ध है। दूसरा श्रम आयोग विभिन्न श्रम कानूनों में आवश्यक परिवर्तनों का अध्ययन करेगा जिससे श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्य किए जा सकें, उनके लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाए जा सकें और तीव्र औद्योगिक विकास हो सके तथा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार न्यायिक प्रणाली में उपयुक्त सुधार करके न्याय दिलाने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूर्णत: सम्मान किया जाएगा और न्यायिक खण्डपीठ में योग्यतम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने कुछ समय पहले उन मौजूदा कानूनों, नियमों और विनियमों का अध्ययन किया था जो पुराने पड़ चुके हैं और तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस अध्ययन

की सिफारिशों के आधार पर ऐसे सभी पुराने और अनावश्यक कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा।

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की और अधिक रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ सम्पर्क बनाए रखेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार आगामी सीएटल सम्मेलन के लिए एक सुविचारित नीति तैयार कर रही है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विश्व व्यापार संगठन के विचार-विमर्श के किसी भी नए दौर में भारत के राष्ट्रीय हित पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें और विश्व व्यापार में हमें अधिक से अधिक लाभ मिले।

सरकार, सामाजिक-आर्थिक विकास की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, बुनियादी अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक प्रयास करेगी। भारतीय उद्योग, केन्द्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आई.सी.एम.आर. और अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, बायो-टेक्नॉलाजी और समुद्री विकास विभाग के बीच आपसी तालमेल बढ़ाया जाएगा। 'जय विज्ञान' के संदेश को देखते हुए, हमारे बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने और समस्या का समाधान ढूंढ़ने में उनके दृष्टिकोण का विकास करने और उभरती हुई युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे।

सरकार भारत के शहरी क्षेत्रों को एक नई दिशा देने और हमारे शहरों का व्यवस्थित, स्वस्थ और गतिशील विकास करने का प्रयास करेगी जो शहरों में गरीबी की समस्या से निपटने के लिए जरूरी है। नागरिक सेवाओं का स्तर बढ़ाने और नगर निकायों और जनोपयोगी सेवाओं के संचालन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

राष्ट्र निर्माण के कार्य में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार रचनात्मक कार्यकलापों, खेल, कला और संस्कृति में उनकी उत्साहपूर्ण भागीदारी को नए सिरे से प्रोत्साहित करने के लिए देश भर के हजारों युवाओं और छात्र संगठनों के प्रयासों पर अपना ध्यान देगी और इसके लिए मदद देगी। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, स्वैच्छिक रूप से कार्य करने की भावना को पुनर्जागृत करना और हमारे प्रतिभावान युवाओं को विश्व-स्तरीय उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सक्षम बनाना होगा।

आंतरिक सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। सरकार भारत के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है, चाहे वे किसी भी

जाति, धर्म, लिंग अथवा भाषा के हों। पिछले वर्ष हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं गत दशक में सबसे कम रही हैं। सरकार दंगा रहित व आतंकवाद मुक्त भारत के निर्माण के लिए पहले से ही प्रभावी कदम उठाने में लगी हुई है।

पिछले दो वर्षों में जम्मू-कश्मीर की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस राज्य में शिक्षा, पर्यटन और अन्य आर्थिक कार्यकलाप तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में 1,10,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने भाग लिया। ऐसा होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। हम इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला करेंगे और आतंकवादियों का सफाया करने के लिए राज्य सरकार को सभी प्रकार की सहायता देंगे। पाकिस्तान ने, करगिल में अपनी करारी हार के बाद, भारत के विरुद्ध परोक्ष युद्ध तेज कर दिया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का प्रत्यक्ष उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालना था। तथापि, इन राज्यों की जनता ने एक बार फिर आतंकवादियों की गोलियों का मुकाबला करते हुए मत का विकल्प चुना। उन्होंने भारत की एकता व पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में अपनी आस्था का स्पष्ट समर्थन किया है और मजहबी अलगाववाद को नकार दिया है।

प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि सरकार, आतंकवाद को बिल्कुल सहन नहीं करेगी। साथ ही, सरकार सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के घातक प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करती रहेगी, जिसने सम्पूर्ण विश्व में अनगिनत लोगों की जानें ली हैं। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य की कमी नहीं है कि राज्य समर्थित आतंकवाद ने दक्षिण एशिया और उससे परे भी शांति एवं स्थिरता को किस कदर प्रभावित किया है। भारत विश्व के किसी भी भाग में राज्य-समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार, मनी-लांडरिंग और स्वापक-आतंकवाद के खतरे से भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों द्वारा प्रभावी ढंग से निपटना है।

सरकार पूर्वोत्तर परिषद् का शीघ्र पुनर्गठन करेगी जिससे पूर्वोत्तर राज्यों का सामाजिक-आर्थिक विकास और तेजी से हो सके। पूर्वोत्तर परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1998 शीघ्र ही लाया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक विशेष योजना शुरू की गई है। आशा है कि राज्य पुलिस बल शीघ्र ही विद्रोह और कानून व व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाएंगे। भारत-बांग्लादेश सीमा के शेष भाग पर शीघ्र ही बाड़ लगाई जाएगी।

केन्द्र-राज्य के सौहार्दपूर्ण संबंध, एक स्वस्थ संघीय शासन-व्यवस्था तथा संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास हासिल करने के लिए मूल आधार हैं। इस संबंध में

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की लंबित सिफारिशों पर विचार किया जाएगा जिससे कि उनका शीघ्र कार्यान्वयन हो सके। मेरी सरकार का मत है कि राज्यों के पास ज्यादा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार होने चाहिए और पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से सबसे निचले स्तर तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उत्तरांचल*, वनांचल और छत्तीसगढ़ नए राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

सरकार एक आयोग नियुक्त करेगी जो संविधान के पचास वर्षों के अनुभव का अध्ययन करेगा और अगली शताब्दी की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त सिफारिश करेगा। इस आयोग में प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और जन-प्रतिनिधि होंगे। सरकार, केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की वर्तमान पद्धति के स्थान पर 'अविश्वास का विकल्प मत' की पद्धति अंगीकार करने और लोक सभा तथा विधान सभाओं का पूरा कार्यकाल सुनिश्चित करने की जांच भी करेगी।

महिलाओं को अधिकार देने और बालिकाओं के पालन-पोषण की सुव्यवस्था के बिना, कोई भी राष्ट्र खुशहाल नहीं हो सकता। तीव्र विकास की कुछ चमत्कारी कहानियां महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारिता से जुड़ी हुई हैं। सरकार का विचार है कि संसद और राज्य विधान सभाओं में, विधान द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएं। इसके अतिरिक्त, हम व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित कॉलेज स्तर तक बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराएंगे और लघु एवं अति लघु क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए एक विकास बैंक स्थापित करेंगे। नारी-शक्ति एक आधुनिक और गतिशील भारतीय समाज का निर्माण करेगी।

हम समुचित कानूनी, कार्यकारी और सामाजिक प्रयासों के जरिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम बड़े पैमाने पर शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक अधिकारिता पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे। हम अपने समाज से छुआछूत के अंतिम अवशेष को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और दस वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा और कुछ राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे 50 प्रतिशत से ऊपर के आरक्षण को विधायी उपायों द्वारा मान्यता दिलाई जाएगी। सरकार ने जनजातीय लोगों के सर्वांगीण कल्याण के उद्देश्य वाली नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पहले ही एक नया जनजातीय कार्य मंत्रालय बना दिया है।

*अब उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाता है।

यदि चुनावों को सही मायने में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाना है जो बाहुबल और धनबल के चंगुल से मुक्त हों, तो उसके लिए व्यापक चुनाव सुधार आवश्यक हैं। हमारे चुनाव कानूनों में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता पर मोटे तौर पर आम सहमति पहले से ही बनी हुई है। सरकार हमारे लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए शीघ्र ही एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक लाएगी। सरकार परोक्ष मतदान की पद्धति लागू करके रक्षा व सुरक्षा बलों के मताधिकार भी सुनिश्चित करेगी।

भ्रष्टाचार का नासूर हमारे राष्ट्र की प्रत्येक संस्था को खाए जा रहा है। सरकार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, लोकपाल विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका है। इसके दायरे में अन्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री पद को भी लाया जाएगा। सरकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक भी अधिनियमित करेगी।

निरंतरता और सर्व-सम्मति सदैव भारत की विदेश नीति के आधार रहे हैं। एक के बाद एक सरकारों ने विश्व परिदृश्य में भारत के लिए एक ऐसा स्थान, भूमिका और स्थिति सुरक्षित करने में अपनी वचनबद्धता दर्शायी है, जो इसके आकार और महत्व के अनुरूप हो।

हाल ही में पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता को हाथ में लेना गंभीर चिंता का विषय है। केवल लोकतंत्र ही देशों तथा लोगों के मध्य शांति, समझबूझ तथा सहयोग स्थापित कर सकता है। हम पाकिस्तान की स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखे हुए हैं। हमने प्राय: सभी विषयों पर एक साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की थी और लाहौर घोषणा के जरिए इसे लागू करना चाहते थे। पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर तथा भारत के अन्य हिस्सों में सीमापार से होने वाले आतंकवाद को रोकना होगा तथा भारत के विरुद्ध किए जा रहे वैमनस्य का प्रचार भी खत्म करना होगा।

अफगानिस्तान की स्थिति का सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करने तथा एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जब अफगानिस्तान आतंकवाद, मादक द्रव्यों तथा घातक अस्थिरता के कारण टूट कर बिखर रहा था, दुर्भाग्य से तब विश्व निष्क्रिय रूप से यह देखता रहा। परिणामस्वरूप, भारत के सुरक्षात्मक हितों पर इसका प्रभाव पड़ा है। हम अफगानिस्तान में स्थायित्व की शीघ्र बहाली के लिए, समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में बाहरी हस्तक्षेप समाप्त हो।

हाल के वर्षों में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा मालद्वीव के साथ भारत की पारम्परिक घनिष्ठ मैत्री और सहयोग काफी सुदृढ़ हुए हैं तथा 'सार्क' देशों के साथ आपसी विचार-विमर्श में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हम इन पड़ोसी देशों के

साथ और 'सार्क' क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करते रहेंगे ताकि इस क्षेत्र में सहयोग की प्रवृत्ति को बनाए रखा जा सके। भारत दक्षिणी अफ्रीका, मारीशस, गुयाना तथा त्रिनिडाड एवं टोबैगो, फिजी और ऐसे ही अन्य देशों जहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, के साथ सांस्कृतिक तथा आर्थिक रिश्तों को और घनिष्ठ बनाएगा।

भारत अपनी और अमेरिका की साझी मान्यताओं एवं आदर्शों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और घनिष्ठ एवं व्यापक बनाना चाहता है। हम रूस के साथ अपने परम्परागत घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए भी वचनबद्ध हैं। हम सद्भावना और आपसी हितों की दृष्टि से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी के साथ-साथ यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों और जापान के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करेंगे। हम चीन से अपनी बातचीत जारी रखेंगे ताकि उसके साथ हमारे संबंधों में और सुधार हो एवं उनमें व्यापकता लाई जाए। भारत मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा प्रशांत, अफ्रीका, लैटिन अमरीका और कैरेबियन देशों के साथ अपने सौहार्दपूर्ण और निरन्तर बढ़ते संबंधों को काफी महत्व देता है। डरबन में होने वाला राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन (चोगम) क्षेत्रीय तथा विश्व महत्व के विविध विषयों पर भारत के विचार प्रस्तुत करने के लिए एक उपयोगी मंच होगा।

मेरी सरकार विश्व के अन्य देशों के साथ अपने राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने नीतिगत साझेदारी तथा मुख्य संभाविषयों के साथ घनिष्ठ समझ-बूझ बनाए रखेगी और उसे विकसित करेगी। हम और अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ और उसके घटकों के और अधिक लोकतंत्रीकरण के लिए अपने प्रयासों को भी जारी रखेंगे। विश्व परिषदों में विकासशील देशों की और अधिक भूमिका होने से बहु-अपेक्षित स्थिरता आएगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में न्याय मिल सकेगा।

माननीय सदस्यगण, 13वीं लोक सभा में आपके समक्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण परन्तु साथ ही प्रतिफल-दायक कार्य हैं। लोगों ने आपको चुनकर भेजा है उन्हें आपसे काफी अपेक्षाएं हैं। वे लोग आशा करते हैं कि संसद की कार्यवाही उच्च स्तर की होगी और आप सभी सदस्य अपनी दलगत राजनीति को छोड़कर आपसी सहमति व सहयोग की भावना से कार्य करेंगे। इस संदर्भ में, मैं माननीय अध्यक्ष के सर्वसम्मति से चुने जाने पर 13वीं लोक सभा को बधाई देता हूं। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है। मुझे विश्वास है कि संसद के आगामी सत्र में तथा इसके बाद के सत्रों में दोनों सदनों में रचनात्मक परिचर्चा होगी जिससे सभी विधायी तथा अन्य निर्धारित कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किए जा सकेंगे। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।